

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।

एल0सी0 वाद संख्या- 01/2016-17

गुरुपद सिंह एवं अन्य -बनाम्- श्री प्रसाद राम गोरार्ई एवं अन्य

-: आदेश :-

अनुसूची 14-फारम संख्या-560

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22/1/19	<p>प्रस्तुत वाद आवेदक 1. गुरुपद सिंह, पिता खान्दु सिंह 2. श्रीमती लीला वाला देवी, पति गुरुपद सिंह, सा0 कालापत्थर, थाना चास(मु0), जिला बोकारो द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से बिहार भूमि सुधार (भूमि सीमा निर्धारण एवं अधिपेश भूमि अर्जन) अधिनियम 1961 की धारा 16(3)(1) के तहत मौजा कालापत्थर, थाना नं0 25, खाता सं0 27, प्लॉट नं0 2481 रकवा 0.20 ए0 एवं खाता सं0 119, प्लॉट नं0 2483, रकवा 0.08 ए0, कुल रकवा 0.28ए0 भूमि से संबंधित आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक द्वारा बी0एल0आर0 एक्ट के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत दस्तावेज संख्या- 1776, दिनांक 22.04.2016 में धार्य मूल्य एवं धार्य मूल्य का 10% अतिरिक्त शुल्क के साथ ट्रेजरी चालान सं0 0375978 दिनांक 21.07.2016 के माध्यम से 10,34,000.00 (दस लाख चौतिस हजार) रूपया जमा किया गया।</p> <p>प्राप्त आवेदन के आलोक में इस वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को सूचना निर्गत की गई।</p> <p>आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन एवं लिखित बहस में उल्लेख किया है कि अनुसूची में वर्णित भूमि का सन्निकट रैयत सह हिस्सेदार है। साथ ही वर्णित भूमि का किस्म कृषि योग्य है। द्वितीय पक्ष सं0 2 विक्रीत प्लॉट सं0 2481 एवं 2483 का सन्निकट रैयत नहीं है। अन्त में इनके द्वारा आवेदक के पक्ष में भूमि को हस्तांतरण करने हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया है।</p> <p>द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित जवाब में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान वाद पोषणीय नहीं है तथा बी0एल0आर0 एक्ट के धारा 16(3) के प्रस्तावित फॉर्म में नहीं है। 16(3) के तहत केवल सन्निकट रैयत या सह हिस्सेदार ही कृषि योग्य भूमि हेतु वाद संधारित कर सकता है परन्तु अनुसूचि 2 में वर्णित भूमि न तो कृषि योग्य है और ना ही कृषि भूमि से सटा है। उक्त भूमि व्यवसायिक भूमि है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्लॉट सं0 2481 के दक्षिण में प्लॉट सं0 2475, 2476, 2477 एवं 2478 स्थित है। जिसमें आवासीय मकान है जिसका अधिग्रहण एन0एच0ए0आई0 के द्वारा एन0एच0 32 के विस्तारीकरण हेतु किया जा चुका है। आवेदक अनुसूची 2 में वर्णित भूमि का सह हिस्सेदार नहीं है। जैसा कि बी0एल0आर0 एक्ट 1961 धारा (2K) में वर्णित है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि आवेदक स्वयं</p>	

केवाला सं० 4754 दिनांक 11.08.2014 के तपशील में उक्त भूमि आवासीय योग्य वर्णित किया जो उक्त अनुसूची का सन्निकट होने का दावा करता है। आवेदक के द्वारा खरीदगी भूमि प्लॉट सं० 2480 गैराबाद भूमि है। आवेदिका लीलावती देवी जिन्होंने खाता सं० 98, प्लॉट सं० 2475 एवं खाता सं० 101, प्लॉट सं० 2476 के आधार पर सन्निकट रैयत होने का दावा किया गया, जो अनुसूची 2 में वर्णित भूमि से काफी दूरी में है। इन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि लीलावती देवी ने आवार्ड सं० 19 एवं 17 से प्लॉट सं 2475 एवं 2476 पर आवासीय मकान का मुआवजा एन०एच०आई० के द्वारा 76,03,990.00 रूपया प्राप्त किया गया है। अन्त में आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, चास से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, चास द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 2015 दिनांक 20.10.2016 से प्रतिवेदन न्यायालय में उपलब्ध कराया गया। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि मौजा कालापत्थर, थाना 25, खाता सं० 27 प्लॉट नं० 2481, सर्वे रकवा 0.59ए० भूमि खतियान में छुट्टु तेली एवं किस्म गोड़ा III तथा खाता नं० 119, प्लॉट नं० 2483, सर्वे रकवा 0.32ए० भूमि खतियान में रामचरण तेली एवं किस्म पुरातन पतित दर्ज है। भूमि एन०एच० 32 से लगभग 70-80 फीट की दूरी पर है एवं प्रस्तावित एन०एच० से सटा हुआ है। प्रासंगिक भूमि आवासीय योग्य है एवं प्लॉट नं० 2475, 2476, 2477 एवं 2478 के सामने है। जिसमें मकान बना है। प्रासंगिक भूमि पर पूर्व एवं पश्चिम में चाहरदिवारी किया हुआ है तथा दक्षिण में एन०एच० 32 एवं खाता नं० 148, प्लॉट नं० 2480 जो गैर आबाद मालिक खाते की भूमि है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि चाहरदिवारी माह सितम्बर 2015 से है। अंचल अधिकारी के उक्त प्रतिवेदन पर आवेदक द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। उक्त आलोक में पुनः अंचल अधिकारी, चास से प्रतिवेदन की मांग गई। पुनः अंचल अधिकारी, चास द्वारा स्थलीय जांचोपरान्त अपने कार्यालय पत्रांक 1172 दिनांक 11.07.2017 से जांच प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया गया है, जो अभिलेख में संलग्न है। अंचल अधिकारी का प्रतिवेदन निम्नवत् है:-

1. मौजा कालापत्थर, खाता सं० 27, प्लॉट सं० 2481, रकवा 0.20ए० एवं खाता सं० 119, प्लॉट सं० 2483, रकवा 0.08ए० व्यवसायिक भूमि के रूप में निबंधित है।
2. उक्त भूमि में दोनों तरफ से सितम्बर 2015 से चाहर-दिवारी किया हुआ है।
3. मौजा कालापत्थर, प्लॉट सं० 2474, 2475, 2476, 2477, 2478 में सभी प्लॉट उक्त प्लॉट के सामने है, जिसमें घर बना हुआ है। जिसका अधिग्रहण NH 32 के विस्तार के लिए किया जा रहा है।



आदेश  
की  
टिप्पणी

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख सहित


4. प्रासंगिक भूमि के उतर में विक्रीत भूमि का निबंधन आवासीय भूमि के रूप में किया गया है। जिसपर चाहरदिवारी किया गया है।
5. मौजा कालापत्थर, खाता सं० 98, प्लॉट सं० 2475, रकवा 0.12ए० एवं खाता सं० 101, प्लॉट सं० 2476, रकवा 0.02ए० जो कि याचिकाकर्ता लीलावाला देवी, पति गुरुपद सिंह के नाम से निबंधित है। जिसमें मकान बना हुआ है तथा इसका अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग 32 के विस्तार के लिए किया गया है एव एवार्ड सं० 17 एव 19 के द्वारा कुल 76,03,990.00 रूपया का भुगतान माह अप्रैल 2016 में किया गया है।
6. सरकारी अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार प्रासंगिक भूमि के दक्षिण में नया राष्ट्रीय राजमार्ग 32 है एवं मौजा कालापत्थर, खाता सं० 148, प्लॉट सं० 2480 का कुछ अंश है जो कि गैर आबाद भूमि है।
7. भू-अर्जन विभाग के दिनांक 12.07.2016 के संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन के अनुसार खाता सं० 27, प्लॉट सं० 2481 एक आवासीय योग्य भूमि है।



दिनांक 22.07.2016 से अपर समाहर्ता, बोकारो एवं अन्य के संयुक्त हस्ताक्षरित जांच प्रतिवेदन में मौजा कालापत्थर अन्तर्गत प्लॉट नं० 2481 की भूमि को आवासीय बताया गया है, जो इस वाद के पंजीकृत होने के पूर्व का है।

निदेशक जिला ग्रामीण अभिकरण, बोकारो के द्वारा पत्रांक 732/अभि० दिनांक 22.07.2017 को अपर समाहर्ता, बोकारो को प्रेषित जांच प्रतिवेदन में मौजा कालापत्थर, खाता सं० 27, प्लॉट सं० 2481 एवं खाता संख्या 119, प्लॉट नं० 2483 की भूमि को आवासीय योग्य बताया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सूना उनके द्वारा दाखिल कागजातों एवं अपर समाहर्ता, बोकारो एवं अन्य के संयुक्त हस्ताक्षरित जांच प्रतिवेदन, निदेशक जिला ग्रामीण अभिकरण, बोकारो के जांच प्रतिवेदन तथा अंचल अधिकारी, चास के द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा प्रासंगिक भूमि से सटे भूमि का जिला भू-अर्जन कार्यालय से एन०एच० 32 के अधिग्रहण के तहत एवार्ड सं० 17, प्लॉट सं० 2476 एवं एवार्ड संख्या 19, प्लॉट सं० 2475 में आवासीय दर पर मुआवजा प्राप्त किया गया है एवं इनके द्वारा प्रासंगिक भूमि कृषि योग्य भूमि होने का कोई ठोस प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रासंगिक भूमि के निकट भूमि मौजा कालापत्थर, थाना नं० 25, खाता सं० 148, प्लॉट नं० 2480, रकवा 0.08ए० भूमि सर्वे खतियान में गैर आबाद मालिक खाते की भूमि है। उक्त भूमि की जमाबंदी संदेहात्मक रहने के कारण बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत उपायुक्त, बोकारो द्वारा गुरुपद सिंह(आवेदक), पिता खांदु सिंह के नाम से दर्ज जमाबंदी



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	<p>सं० 1243 को अवैध मानते हुए BLR Act 1950 की धारा 4(h) वाद सं० 59/2017-18 को रद्द किया गया एवं सम्पुष्टि सरकार से प्राप्त करने हेतु अभिलेख आयुक्त उत्तरीछोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को भेजा गया है।</p> <p>अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रासंगिक भूमि आवासीय योग्य है, जो BLR Act 1961 की धारा 16(3)(1) के अन्तर्गत नहीं आता है। आवेदक 1. गुरुपद सिंह, पिता खान्दु सिंह 2. श्रीमती लीला वाला देवी, पति गुरुपद सिंह, सा० कालापत्थर, थाना चास(मु०), जिला बोकारो द्वारा एल०सी० एक्ट की धारा 16(3)(1) के अन्तर्गत दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।</p>

*C. C. Singh*  
*M. Singh*  
*17/03/19*

*C. C. Singh*  
*18.7.22*

*C. C. Singh*  
*16.11.23*